रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13122025-268469
CG-DL-W-13122025-268469

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 45] नई दिल्ली, दिसम्बर 7—दिसम्बर 13, 2025, शनिवार/अग्रहायण 16—अग्रहायण 22, 1947
No. 45] NEW DELHI, DECEMBER 7—DECEMBER 13, 2025, SATURDAY/AGRAHAYANA16—AGRAHAYANA 22, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 189.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (अतिरिक्त निदेशक) भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान में अतिरिक्त निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (अतिरिक्त निदेशक) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अतिरिक्त निदेशक	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (1,23,100-2,15,900 रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत या कानूनी संगठनों के अधिकारीः- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव होः- **आवश्यकः-** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; और (ii) भारत सरकार में सचिवीय पदों पर प्रशासनिक और स्थापन विषयों में आठ वर्ष का अनुभव; और (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन संगठनों या प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करने में दो वर्ष का अनुभव। **वांछनीयः-** (i) लोक प्रशासन या मानव संसाधन प्रबंध में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मास्टर डिग्री। (ii) निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुभवः- (क) भारत सरकार में एकीकृत वित्त प्रभाग या प्रशासनिक सतर्कता या लेखा प्रभाग में सचिवीय पद पर एक वर्ष का अनुभव; (ख) ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल या अनुदेश डिजाइन या पाठ्यक्रम डिजाइन का विकास। **टिप्पण 1-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया **3 वर्ष** से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **56 वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/05/2022-आईएसटीएम]

राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 2nd December, 2025

G.S.R. 189.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Institute of Secretariat Training and Management (Additional Director) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Additional Director in the Institute of Secretariat Training and Management, Department of Personnel and Training under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management (Additional Director) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualification, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Additional Director.	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 13 in the pay matrix (Rs.123100-215900).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract.)	**By deputation (including short-term contract)** Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or autonomous or statutory organisations: - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; **or,** (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-12 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

			(b) possessing the following educational qualification, and experience: - **Essential:** (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; **and** (ii) eight years' experience in administrative or establishment matters in ministerial posts in Government of India; and (iii) two years' experience of conducting training programmes for organisations or training institutes under Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or autonomous bodies or statutory organisations. **Desirable:** (i) Masters' degree from a recognised University or institutes in Public Administration or Human Resource Management. (ii) experience in the following areas: - (a) One year experience in ministerial posts in Government of India in Integrated Finance Division or Administrative Vigilance or Accounts Division; or (b) development of online training modules or instruction design or curriculum design. **Note 1**:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed **three years**. **Note 2:-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding **fifty-six years** as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/05/2022-ISTM]

RAM BHAGAT KUSHWAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 190.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में संयुक्त निदेशक (प्रबंध सेवाएं) भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान में संयुक्त निदेशक (प्रबंध सेवाएं) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, संयुक्त निदेशक (प्रबंध सेवाएं) समूह 'क' राजपत्रित, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैवहां वह उसके , उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी ,लिए जो कारण हैं आदेश द्वारा शिथिल ,वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबतकर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद अथवा अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संयुक्त निदेशक (प्रबंध सेवाएं)	1 * (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा: केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी:- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो:- **आवश्यक:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; और (ii) भारत सरकार में सचिवीय पदों पर प्रशासनिक या स्थापन विषयों में पांच वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या मानव संसाधन प्रबंध में मास्टर डिग्री; या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एमबीए या चार्टर्ड अकाउंटेंड या कंपनी सचिव या लागत और कार्य लेखा संस्थान (आईसीडब्ल्यूए)। (ii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षक या प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) के प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण का डिजाइन (डीओटी)। (iii) निम्नलिखित एक या अधिक क्षेत्रों में अनुभव:- (क) प्रशिक्षण से संबंधित विषयों में एक वर्ष का अनुभव; (ख) वेतन स्तर-10 या उपर में एकीकृत वित्त प्रभाग या प्रशासनिक सतर्कता में एक वर्ष का अनुभव; (ग) ऑनलाइन डिजाइन मॉड्यूल या अनुदेश डिजाइन या पाठ्यक्रम डिजाइन के विकास में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया **4 वर्ष** से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **56 वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/05/2022-आईएसटीएम/ज.डी.(म.स.)]

राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2025

G.S.R. 190.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training), Institute of Secretariat Training and Management Joint Director (Management Services) Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director (Management Services) in the Institute of Secretariat Training and Management under the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management, Joint Director (Management Services) Group 'A' Gazetted Post, Recruitment Rules, 2025.

   (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualification, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

   a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Joint Director (Management Services).	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	**By deputation:** Officers under the Central Government: - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; **or,** (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-11 in

			the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: - **Essential:** (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; **and** (ii) five years' experience in administrative or establishment or financial matters in ministerial posts in Government of India. **Desirable:** (i) Master's degree in Economics or Human Resource Management from a recognised University or institute; or Master of Business Administration (MBA) or Chartered Accountant (CA) or Company Secretary (CS) or Cost and Works Accountants (ICWA) from a recognised University or institute. (ii) Department of Personnel and Training (DoPT) Certified Master Trainer or recognised Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training (DoT) in Trainers Development Programme (TDP); (iii) Experience in any one or more of the following areas: - (a) one year experience in matters related to training; (b) one year experience in Integrated Finance Division or Administrative Vigilance in pay level 10 or above; (c) one year experience in development of online training modules or instruction design or curriculum design. **Note 1: -** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed **four years.** **Note 2: -** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding **fifty-six years** as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/05/2022-ISTM/JD(MS)]

RAM BHAGAT KUSHWAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 191.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, सहायक निदेशक (अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण) भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान में सहायक निदेशक (अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, सहायक निदेशक (अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण) समूह 'ख' राजपत्रित, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैवहां वह उसके , उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी ,लिए जो कारण हैं आदेश द्वारा शिथिल ,वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबतकर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद अथवा अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक (अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण)	2 * (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47000-151100 रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति द्वाराः- केंद्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिकः- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हता और अनुभव होः **आवश्यकः** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी शाखा में स्नातक डिग्री; **वांछनीयः** (i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक या प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (डीटीपी) के प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण का डिजाइन; (ii) ऑनलाईन प्रशिक्षण मॉड्यूल या अनुदेश डिजाइन या पाठ्यक्रम डिजाइन का विकास। **टिप्पण 1.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया **3 वर्ष** से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **56 वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/05/2022-आईएसटीएम/एडी(इ इस एंड टी)]

राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2025

G.S.R. 191.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Institute of Secretariat Training and Management, Assistant Director (English Shorthand and Typewriting) Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (English Shorthand and Typewriting) in the Institute of Secretariat Training and Management, Department of Personnel and Training under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management, Assistant Director (English Shorthand and Typewriting), Group 'B' Gazetted Post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Assistant Director (English Shorth and and Type writing).	2* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	<u>**By deputation**</u> Stenographers under the Central Government: - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

			(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level 7 in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) possessing the following qualification or experience: **Essential:** Bachelor's degree in any discipline from a recognised University or institute; **Desirable:** (i) Department of Personnel and Training (DoPT) Certified Master Trainer or recognised Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training (DoT) in Trainers Development Programme (TDP); (ii) development of online training module or instruction design or curriculum design. **Note 1: -** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed **three years**. **Note 2: -** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding **fifty-six years** as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/05/2022-ISTM/AD(ES&T)]

RAM BHAGAT KUSHWAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 192.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, उप-निदेशक (अर्थशास्त्र और नियोजन) भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान में उप निदेशक (अर्थशास्त्र तथा योजना) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, उप निदेशक (अर्थशास्त्र तथा योजना) समूह 'क' राजपत्रित, भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैवहां वह उसके , उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी ,लिए जो कारण हैं आदेश द्वारा शिथिल ,वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबतकर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक (अर्थशास्त्र तथा योजना)	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-208700रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्प कालिक संविदा सहित)- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन अधिकारीः- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किया हुआ हो, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 पर या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव होः- **आवश्यकः** (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में रहते हुए के साथ स्नातक डिग्री; और (ii) अर्थशास्त्र नीति (जिसके अंतर्गत योजना और वित्तीय प्रबंध भी है) के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव, साथ ही उसके अंतर्गत केंद्रीय प्रायोजित या सेक्टर स्कीम के व्यौहार में दो वर्ष का अनुभव है। **वांछनीयः** (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या व्यवसाय प्रशासन (वित्त) में मास्टर डिग्री। (ii) अर्थशास्त्र नीति, वित्तीय प्रबंध या योजना में दो वर्ष का शिक्षण या प्रशिक्षण अनुभव। (iii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षक या प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) के प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण का डिजाइन (डीओटी)। (iv) निम्नलिखित किसी एक या अधिक क्षेत्रों में अनुभवः- (क) प्रशिक्षण संबंधित विषयों का एक वर्ष का अनुभव; (ख) वेतन स्तर-10 या अपर प्रशासनिक या स्थापन या वित्तीय विषयों में दो वर्ष का अनुभव; (ग) वेतन स्तर-10 या अपर एकीकृत वित्त प्रभाग या प्रशासनिक सतर्कता में एक वर्ष का अनुभव; (घ) ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल या अनुदेश डिजाइन या पाठ्यक्रम डिजाइन के विकास में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया **4 वर्ष** से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **56 वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/05/2022- आईएसटीएम/डीडी(इ एंड पी)]

राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2025

G.S.R. 192.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Institute of Secretariat Training and Management Deputy Director (Economics and Planning) Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Economics and Planning) in the Institute of Secretariat Training and Management, Department of Personnel and Training under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management, Deputy Director (Economics and Planning) Group 'A' Gazetted Post Recruitment Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualification, etc**.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**. - No person, -

   a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Deputy Director (Economics and Planning).	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract.)	**By deputation (including short-term contract)** Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or autonomous or statutory

			organisations:- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; **or,** (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-10 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: - **Essential:** (i) Bachelor's degree with Economics as a subject from a recognised University or institute; **and** (ii) Three years' experience in the field of economic policy (including planning and financial management) including two years' experience of dealing with centrally sponsored or sector schemes. **Desirable:** (i) Master's degree in Economics or Business Administration (Finance) from a recognised University or institute. (ii) two years' teaching or training experience in Economic Policy, Financial Management or Planning; (iii) Department of Personnel and Training (DoPT) Certified Master Trainer or recognized Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training (DoT) in Trainers Development Pragramme (TDP); (iv) experience in any one or more of the following areas: - (a) one year experience of training related matters; (b) two years' experience in Administrative or Establishment or Financial matters in pay level 10 or above. (c) one year experience in Integrated Finance Division or Administrative Vigilance in pay level 10 or above. (d) one year experience in development of online training module or instruction design or curriculum design. **Note 1:-** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed **four years**. **Note 2:-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding **fifty-six years** as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/05/2022-ISTM/DD (E&P)]

RAM BHAGAT KUSHWAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 193.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, सहायक निदेशक (लेखा) भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान में सहायक निदेशक (लेखा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, सहायक निदेशक (लेखा) समूह 'ख' राजपत्रित, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैवहां वह उसके , उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लो ,लिए जो कारण हैंक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल ,कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद अथवा अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक (लेखा)	1 * (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचीवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47000-151100 रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति द्वाराः- केंद्रीय सरकार के अधीन अधिकारी- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 या समतुल्य में नियमित आधार नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; या (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव होः- **आवश्यकः** (i) वाणिज्य या अर्थशास्त्र या व्यवसाय प्रशासन या वित्त या लेखा, सहित एक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; (ii) भारत सरकार में सचिवीय पदों में साधारण प्रशासन या स्थापन में एक वर्ष का अनुभव। **वांछनीयः** (i) सरकारी संगठन में रोकड़ तथा लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव; (ii) भारत सरकार में सचिवीय पदों में एकीकृत वित्त प्रभाग या प्रशासनिक सतर्कता में दो वर्ष का अनुभव; (iii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या अर्थशास्त्र या व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री या स्नातोकोत्तर डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एमबीए (वित्त) या चार्टेड अकांउटेंट (सीए) या कंपनी सचिव (सीएस) या लागत और कार्य लेखा संस्थान (आईसीडब्ल्यूए); (iv) केंद्रीय सरकार द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण; (v) सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान से रोकड़ और लेखा में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो; (vi) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक या प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) के प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीसी) या प्रशिक्षण का डिजाइन (डीओटी); (vii) ऑनलाईन मॉड्यूल या अनुदेश डिजाइन या पाठ्यक्रम डिजाइन के विकास में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया **3 वर्ष** से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **56 वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/05/2022- आईएसटीएम/ए डी (एकाउंट्स)]

राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2025

G.S.R. 193.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Institute of Secretariat Training and Management, Assistant Director (Accounts) Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Accounts) in the Institute of Secretariat Training and Management, Department of Personnel and Training under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management Assistant Director (Accounts), Group 'B' Gazetted Post Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**. - No person, -

a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Assistant Director (Accounts).	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**
8	**9**	**10**	**11**
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	**<u>By deputation</u>** Officers under the Central Government: - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 7 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: - **Essential:** (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute with Commerce or Economics or Business Administration or Finance or Accounts as one of the subjects; (ii) one year's experience in general administration or establishment in ministerial posts in Government of India. **Desirable:** (i) two years' experience in Cash and Accounts and Budget works in Government organisation; (ii) two years' experience in Integrated Finance Division or Administrative Vigilance in ministerial posts of Government of India; (iii) Master's Degree or Post Graduate Diploma in Commerce or Economics or Business Administration from a recognised University or institute; **or** Master of Business Administration (MBA) (Finance) or Chartered Accountant (CA) or Company Secretary (CS) or Institute of Cost and Works Accountants (ICWA) from any recognized University or institute. (iv) a Pass in the Subordinate Accounts Service Examination conducted by the Central Government; (v) successfully completed training in Cash and Accounts in the Institute of Secretariat Training and Management; (vi) Department of Personnel and Training (DoPT) certified Master Trainer or Recognised Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training

			(DoT) in Trainers Development Programme (TDP); (vii) one year experience in development of online training module or instruction design or curriculum design. **Note 1:-** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed **three years**. **Note 2:-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding **fifty-six years** as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/05/2022-ISTM/AD (Accounts)]

RAM BHAGAT KUSHWAHA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 194.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र अस्पताल, नई दिल्ली, में चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् के पद पर भर्ती की पद्धति के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति,-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद या अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्।	6* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)।	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम आयु-सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।) **टिप्पण.-** कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु-सीमा अवधारित करने हेतु निर्णायक होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातक उपाधि; और (ख) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल से बतौर चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् अथवा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् के रूप में दो वर्षों का अनुभव। **टिप्पण 1.-** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। **टिप्पण.-** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण 2.- अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान होता है कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अनुभव संबंधी अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी,- (क)(i)जो नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण कर रहे हैं; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये) के पद पर नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर छह वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये) या समतुल्य के पद पर नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1.-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमे निम्नलिखित होंगे:- 1. अस्पताल अथवा चिकित्सा अधीक्षक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल - अध्यक्ष; 2. संपृक्त विभागाध्यक्ष, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल के कार्य की देखरेख करने वाले उप निदेशक (प्रशासन) - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.12015/05/2025-एच-II]

अनुराग तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 2nd December, 2025

G.S.R. 194.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Medical Laboratory Technologist in the Directorate General of Health Services, Rural Health Training Centre Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Rural Health Training Centre Hospital, New Delhi, Medical Laboratory Technologist (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Medical Laboratory Technologist.	06* (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants up to five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government). Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(a) Bachelor's degree in Medical Laboratory Science from a recognised University or institute; and (b) two years experience as Medical Laboratory Technologist or Laboratory Technologist from a recognised hospital. **Note 1.-** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.-** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled

		Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.**
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years. **Note.-** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By deputation (including short-term contract), failing which by direct recruitment.	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organization or public sector undertakings or University or recognised research institutions,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) in the parent cadre or department; or (iii) with ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) or equivalent in parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1.-** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.-**The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Hospital or Medical Superintendent, Rural Health Training Centre Hospital – Chairman; 2. Head of the concerned Department, Rural Health Training Centre Hospital -Member; 3. Deputy Director (Administration) looking after the work of Rural Health Training Centre Hospital in Directorate General of Health Services –Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12015/05/2025-H-II]

ANURAG TIWARI, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 195.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल, नई दिल्ली में रेडियोग्राफर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल, नई दिल्ली, रेडियोग्राफर (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**
(1)	(2)	(3)	(4)
रेडियोग्राफर	02*(2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)

चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	18-30 वर्ष तक (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु-सीमा सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियोग्राफी या मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडियोग्राफी) या रेडियोग्राफी और इमेजिंग विज्ञान या एक्स-रे टेक्नोलॉजी या मेडिकल रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजी या रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी या रेडियो-इमेजिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा; और (ii) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या चिकित्सा संस्थान में रेडियोग्राफी में दो वर्षो का अनुभव; या (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियोग्राफी या मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडियोग्राफी) या रेडियोग्राफी और इमेजिंग विज्ञान या एक्स-रे टेक्नोलॉजी या मेडिकल रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजी या रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी या रेडियो-इमेजिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री; और (ii) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या चिकित्सा संस्थान में रेडियोग्राफी में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएँ सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अन्यथा शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के	लागू नहीं होता।

		किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**
(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:-** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना आज्ञापक होगा।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है)/ आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है)/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या वैधानिक संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविध्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी:- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300/-) में पद में छह वर्षों की नियमित सेवा की हो और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो। **टिप्पण 1.-**प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: केवल केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी आमेलन के लिए विचार किए जाएंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
समूह 'ख" विभागीय पुष्टिसमिति (पुष्टिपर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़ - अध्यक्ष; 2. अस्पताल या चिकित्सा अधीक्षक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल - सदस्य; 3. सम्बंधित उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए. 12015/04/2025-एच-II]

अनुराग तिवारी, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2025

G.S.R. 195.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Radiographer in the Ministry of Health and Family Welfare, Rural Health Training Centre Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Rural Health Training Centre Hospital, Najafgarh, New Delhi, Radiographer, Group 'B' post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Radiographer.	02* (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Not applicable.	Between 18- 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
(a) (i) Diploma in Radiography or Medical Imaging Technology or Medical Technology (Radiography) or Radiography and Imaging science or X-Ray	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By deputation (including short-term contract) or absorption

Technology or Medical Radiologic Technology or Radiology and Imaging Technology or Radio-imaging Technology from a recognized university or institute; and (ii) two years experience in the field of Radiography in a recognized hospital or health center; or (b) (i) Bachelor's Degree in Radiography or Medical Imaging Technology or Medical Technology (Radiography) or Radiography and Imaging science or X-Ray Technology or Medical Radiologic Technology or Radiology and Imaging Technology or Radio-imaging Technology from a recognized university or institute; and (ii) one year experience in the field of Radiography in a recognized hospital or health center **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		**Note:** There shall be a mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract) or absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or recognised universities or recognised research institutions: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years of regular service in the post in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300/-) in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1**: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Director, Rural Health Training Centre, Najafgarh - Chairman; 2. Hospital or Medical Superintendent, Rural Health Training Centre Hospital - Member; 3. Deputy Director (concerned), in Directorate General of Health Services - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** Only Central Government or State Government employees shall be considered for absorption.		

[F. No. A-12015/04/2025-H-II]

ANURAG TIWARI, Under Secy.

(केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्रभाग)

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 196.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन में ज्येष्ठ भेषजज्ञ (एलोपैथिक) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, ज्येष्ठ भेषजज्ञ (एलोपैथिक) समूह 'ख पद भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या और वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-**उक्त पद की संख्या और उसका वर्गीकरण और उससे *संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।*

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता –** वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद या अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ भेषजज्ञ (एलोपैथिक)	270* (2025) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, अहमदाबाद- 08 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, बेंगलुरु- 09 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, भोपाल- 02 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, भुवनेश्वर- 04 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चंडीगढ़- 05 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई- 13 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, देहरादून- 02 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली- 90 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, गुवाहाटी- 04 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद- 15 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर- 04 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर- 08 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कानपुर- 07 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कोलकाता- 16 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, लखनऊ- 10 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मेरठ- 07 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई- 23 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नागपुर- 12 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पटना -07 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पुणे -07 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, प्रयागराज -07	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख, अराजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (44900-142400 रुपये)।	चयन।	लागू नहीं होता।

	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, रांची -03 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, शिलांग -03 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, त्रिवेंद्रम -04 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (₹35400-112400) में ऐसे भेषजज्ञ (एलोपैथिक) से प्रोन्नति, जिन्होने उस श्रेणी में ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रशासन, स्थापना और लेखा मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारियों में से,- (क), (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400रु.) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्:- (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भेषजी

				(एलोपैथिक) में स्नातक की डिग्री; या (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भेषजी में डॉक्टरेट की डिग्री; और (iii) भेषजी अधिनियम, 1948 के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकृत; या **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी

				प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
1. विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. संबंधित शहर के केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अपर निदेशक - अध्यक्ष; या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) के अपर निदेशक 2. संबंधित शहर के केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मुख्य चिकित्सा अधिकारी - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी, संबंधित शहर के केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना या संबंधित शहर की स्थापना या संबंधित शहर के केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर का एक समूह 'क' अधिकारी, जिसे संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अपर निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो - सदस्य 2. विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. संबंधित शहर के केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अपर निदेशक - अध्यक्ष; या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) के अपर निदेशक 2. संबंधित शहर के केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मुख्य चिकित्सा अधिकारी - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी, संबंधित शहर के केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना या संबंधित शहर की स्थापना या संबंधित शहर के केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर का एक समूह 'क' अधिकारी, जिसे संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अपर निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए. 12018/01/2015-सीजीएचएस-I(भाग)]

गणेश कुमार, अवर सचिव

(Central Government Health Scheme Division)

New Delhi, the 5th December, 2025

G.S.R. 196.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Pharmacist (Allopathic), in the Central Government Health Scheme Organisation, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.-(**1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation, Senior Pharmacist (Allopathic), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Pharmacist (Allopathic).	270* (2025) Central Government Health Scheme, Ahmedabad- 08 Central Government Health Scheme, Bengaluru - 09 Central Government Health Scheme, Bhopal - 02 Central Government Health Scheme, Bhubaneswar–04 Central Government Health Scheme, Chandigarh –05 Central Government Health Scheme, Chennai–13 Central Government Health Scheme, Dehradun –02 Central Government Health Scheme, Delhi –90 Central Government Health Scheme, Guwahati–04	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.	Not applicable.

	Central Government Health Scheme, Hyderabad–15 Central Government Health Scheme, Jabalpur –04 Central Government Health Scheme, Jaipur–08 Central Government Health Scheme, Kanpur –07 Central Government Health Scheme, Kolkata –16 Central Government Health Scheme, Lucknow–10 Central Government Health Scheme, Meerut–07 Central Government Health Scheme, Mumbai –23 Central Government Health Scheme, Nagpur –12 Central Government Health Scheme, Patna –07 Central Government Health Scheme, Pune–07 Central Government Health Scheme, Prayagraj –07 Central Government Health Scheme, Ranchi - 03 Central Government Health Scheme, Shillong –03 Central Government Health Scheme, Trivendrum - 04 * Subject to variation dependent on workload.				

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees	100 per cent by promotion failing which by deputation.	Promotion from Pharmacists (Allopathic) in Level-5 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with eleven years regular service in the grade and have successfully completed two weeks training in administration, establishment and accounts matters. Deputation: From amongst Officers of the Central Government, State

				Government or Union territory Administration,- (a), (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following qualifications and experience, namely:- (i) Bachelor Degree in Pharmacy (Allopathic) from a Central Government or State Governments recognised University or Institute ; or (ii) Doctor of Pharmacy from a Central Government or State Government recognised University or institute ; and (iii) registered as Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948. **Note 1 :** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility services, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of

				receipt of applications. **Note 3:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
1. Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Additional Director, concerned Central Government Health Scheme city - Chairman ; or Additional Director Central Government Health Scheme (Headquarter) 2. Chief Medical Officer, concerned Central Government Health Scheme city -Member ; 3. Administrative Officer, Establishment concerned Central Government Health Scheme city or a Group 'A' officer of concerned Central Government Health Scheme city as nominated by Additional Director of concerned Central Government Health Scheme city – Member 2. Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Director, concerned Central Government Health Scheme city - Chairman ; or Additional Director Central Government Health Scheme (Headquarter) 2. Chief Medical Officer, concerned Central Government Health Scheme city -Member ; 3. Administrative Officer, Establishment concerned Central Government Health Scheme city or a Group 'A' officer of concerned Central Government Health Scheme city as nominated by Additional Director of concerned Central Government Health Scheme city – Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/01/2015-CGHS-I(pt.)]

GANESH KUMAR, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 197.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में सहायक आचार्य (एल्कोहल प्रौद्योगिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्: –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, सहायक आचार्य (एल्कोहल प्रौद्योगिकी), समूह 'क' भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल** – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वही होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगीं जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति (सेविंग)-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम.	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
सहायक आचार्य (एल्कोहल प्रौद्योगिकी)।	1* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67,700-2,08,700/-)

चयन पद या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताए व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	संयुक्त पद्यति द्वारा: प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओ या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधिकारी, - (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु.56,100 – 1,77,500) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात प्रदान किए गए ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव हों **आवश्यक** : (अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान से एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के एल्कोहल प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/ औद्योगिक किण्वन और अल्कोहल प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या अभियांत्रिकी में मास्टर डिग्री; (ब) (i) औद्योगिक किण्वन और एल्कोहल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पांच वर्ष का शिक्षण या अनुसंधान या परामर्श का अनुभव; या (ii) डिस्टिलरी में पर्यवेक्षीय या प्रबंधकीय क्षमता में काम करने का पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। **वांछनीय**: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन में डॉक्टरेट या एल्कोहल प्रौद्योगिकी में फैलोशिप; (ii) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी रिपोर्टों और समीक्षाओं के प्रारूपण और संपादन में अनुभव | **टिप्पण 1:** विभागीय कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (एल्कोहल प्रौद्योगिकी) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (रु.56,100–1,77,500/-) में श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विहित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव हो ,बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी पद पर नियुक्ति के लिए चयनित होता है; तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधरणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 12018/7/2024-एसए]

अनिल कुमार गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 28th November, 2025

G.S.R. 197.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Professor (Alcohol Technology) in the National Sugar Institute, Kanpur under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur, Assistant Professor (Alcohol Technology), Group 'A' Post Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
(1)	(2)	(3)	(4)
Assistant Professor (Alcohol Technology)	01* (2025) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level–11 (Rs. 67,700-2,08,700/-)

Whether selection post or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By Composite Method: Promotion/Deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or autonomous bodies or statutory organisations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 10 (Rs. 56,100-1,77,500/-) in the pay matrix in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as under: Essential: A. Master's Degree in Science or Engineering from a recognised university or Institute, with Post-Graduate Diploma in Industrial Fermentation and Alcohol Technology/ Post graduate Diploma in Alcohol Technology of one year or more duration from a recognised university/institute or AICTE approved Institute; and B.(i) five years experience of teaching or research or advisory experience in the field of Industrial Fermentation and Alcohol Technology; or (ii) five years practical experience of working in a supervisory or managerial capacity in a distillery. **Desirable: -** (i) Doctorate Degree in Chemistry or Fellowship in Alcohol Technology from a recognized University or Institute; (ii) experience in drafting and editing of scientific and technological reports and reviews. **Note 1:** The departmental Junior Scientific Officer (Alcohol Technology) with five years regular service in the level-10 (Rs. 56,100-1,77,500/-) in the pay matrix and having the educational qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-

term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 12018/7/2024-SA]

ANIL KUMAR GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 198.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, फार्म अधीक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2016 के अधिक्रमण में उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या लोप किया गया है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में फार्म अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, फार्म अधीक्षक समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स का स्तर वही होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता –** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह हेतु अनुबंध किया है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह हेतु अनुबंध किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे –

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके आदेश द्वारा इन नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**
(1)	(2)	(3)	(4)
फार्म अधीक्षक	01*(2025) *कार्यभार के अनुसार पदों में भिन्नता हो सकती है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-5 (29,200 से 92,300 रुपये)

पद किस श्रेणी में आता है, चयन या अचयन	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
अचयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार 40 वर्ष तक के सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट प्रदान कि जा सकती है) **टिप्पण : 1** आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए तारीख विहित की गई है) **टिप्पण -2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती के मामले में, आयु सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख प्रत्येक मामले में वह तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों से अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में एम.एस.सी. या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में बी.एस.सी.; और (ii). सरकारी या अर्ध-सरकारी या सोसायटी या निजी कृषि फार्म के प्रबंधन में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों कि दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल कि जा सकती है । **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अहर्ता (अहर्ताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

प्रोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न रीति से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष **टिप्पण:** प्रेरण प्रशिक्षण (आज्ञापक)	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पदधारी के दूर होने के कारण हुई रिक्ति को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्ध सरकारी, स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है (क)(i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में पांच वर्ष की सेवा और (ख) स्तंभ (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता रखना **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधरणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन ग्रेड द्वारा भर्ती के मामले में जिसमें से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
(11)
लागू नहीं होता

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति विधमान है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल हैं: - 1. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -अध्यक्ष; 2. सहायक आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य; 3.तकनीकी अधिकारी या कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य;	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 12018/1/2025-एसए]

अनिल कुमार गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 28th November, 2025

G.S.R. 198.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Farm Superintendent (Group 'C' post) Recruitment Rules 2016, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Farm Superintendent in the National Sugar Institute, Kanpur in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. **Short title and commencement**. – (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Farm Superintendent, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
(1)	(2)	(3)	(4)
Farm Superintendent	01*(2025) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 (Rs.29,200 to 92,300)

Whether selection post or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(5)	(6)	(7)
Non-selection.	**Not exceeding 30 years** (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note: 1** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,	(i) M.Sc. Agriculture from a recognised University or Institute. or (ii) B.Sc. Agriculture from a recognised University or Institute; and (ii). two years experience in managing Government or semi- Government or society or private agriculture farm.

	Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District & Pangi Sub- division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands & Lakshadweep). **Note-2**: In case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be in each case the date upto which the Employment Exchanges is requested to submit the names of the candidates.	**Note1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Central Government in case of candidates otherwise well qualified. **Note2:** The qualification are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Central Government in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Central Government of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two Years. **Note:** Mandatory Induction Training	**By direct recruitment**. **Note:** Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation (including short term contract) basis from the officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking, Semi Government, Autonomous or Statutory Organisations, recognised Research Institutions : (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with five years service in the posts in Level 4 in the Pay Matrix and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7). **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract), in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty- six years as on the closing date of receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Senior Admin. Officer, National Sugar Institute Kanpur - Chairman; (2) Assistant Professor, National Sugar Institute Kanpur - Member; (3) Technical Officer or Junior Technical Officer National Sugar Institute Kanpur - Member;	**Not applicable.**

[F. No. 12018/1/2025-SA]

ANIL KUMAR GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 199.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1994 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में कल्याण-सह-सुरक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्यति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, कल्याण-सह-सुरक्षा अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता –** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा –

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।
(1)	(2)	(3)	(4)
कल्याण-सह- सुरक्षा अधिकारी	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-7 (44,900-1,42,400/ रु.)

चयन या अचयन पद ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं ।
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष **टिप्पण:** परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए दो सप्ताह की अवधि का नौकरी पर प्रशिक्षण अनिवार्य है ।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(11)
संयुक्त पद्यति - प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / प्रोन्नति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों के अधिकारी, -

(अ) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400/-112400/-) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200/-92,300/-रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में ग्यारह वर्ष की सेवा की है; और

ख. जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव हो; अर्थात्:-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री;

(ii) किसी सरकारी विभाग या वाणिज्यिक संगठन में पर्यवेक्षण क्षमता में सुरक्षा कार्य या कल्याण कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।

ग. विभागीय सुरक्षा निरीक्षक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 में उस श्रेणी में ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव है, बाहर वालों के साथ भी विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी उस पद पर नियुक्ति के लिए चयनित हो जाता है, तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

टिप्पण 1: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित आधार पर सुरक्षा निरीक्षक का पद धारण करने वाले विभागीय अभ्यर्थी उम्मीदवार के लिए पात्रता सेवा आठ वर्ष रहेगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, साधरणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना	**ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना होता है**
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगें :- (1) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -अध्यक्ष (2) आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य (3) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 12018/4/2016-एसए]

अनिल कुमार गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 28th November, 2025

G.S.R. 199.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in the supersession of the National Sugar Institute, Kanpur (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1994, expect as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Welfare-cum-Security Officer in the National Sugar Institute, Kanpur in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, National Sugar Institute, Kanpur, Welfare-cum-Security Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.–** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters (relating to the said) shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. –** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward classes, Ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in Pay Matrix.**
(1)	(2)	(3)	(4)
Welfare-cum-Security Officer	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 7 (Rs. 44,900-1,42,400/).

Whether selection post or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for promotees **Note :** On the Job training of two weeks duration is mandatory for successful completion of the probation period.	By deputation (including short term Contract)/promotion.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Composite method- Deputation (including Short-Term contract)/ Promotion Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or public sector undertakings or universities or recognised research institutions or autonomous bodies or statutory organisations,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level 6 (Rs. 35,400/-112400-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with eleven years' service in the grade rendered after appointment to the post on a basis in level-5 (Rs. 29,200/- 92,300/-)in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and B. possessing the following educational qualifications and experience; namely :- (i) Bachelor's degree from a recognised university or Institute; (ii) three years' experience of security work or welfare work in a supervisory capacity in a Government department or commercial organisation. C. The Departmental Security Inspector in level-5 in the pay matrix with eleven years regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall also be considered along with the outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 1:** The eligibility service shall continue to be eight years for departmental candidate holding the post of Security Inspector on regular basis on the date of notification of these rules. **Note 2:** The period of deputation (including short- term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Director, National Sugar Institute, Kanpur -Chairman (2) Professor, National Sugar Institute, Kanpur -Member (3) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur -Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/4/2016-SA]

ANIL KUMAR GUPTA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.12.13 09:55:06 +05'30'